



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 फॉर्म डी [विनियम 14 देखें]

रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION OF INSURANCE
MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015 FORM D [see regulation 14]
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

रजिस्ट्रीकरण संख्या / Registration No: **IMF186648040220180197**

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 डी की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 14 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन "विश्वास फाइनेंशियल एंड इश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड" का रजिस्ट्रीकरण **20.02.2024** से **19.02.2027** तक की अवधि के लिए नवीकृत करता है। In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby renews the registration of M/S "**Vishwas Financial and Insurance Marketing Private Limited**" under Reg. 14 of the IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) for the period from **20.02.2024** to **19.02.2027**.

1. उक्त बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) को निम्नलिखित क्षेत्र में परिचालन करने की अनुमति दी जाएगी :

The IMF shall be allowed to operate in:

जिला/नगर पालिका/नगर निगम District/Municipality/ Municipal Corporation	राज्य State
दक्षिण पश्चिम दिल्ली / South West Delhi	दिल्ली / Delhi

2. कार्यकलापों का विस्तार Scope of Activities

बीमा उत्पादों का अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना Soliciting or Procuring Insurance Products	हाँ / Yes
---	-----------

3. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है। This registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान Place : Hyderabad

दिनांक Date : 05.04.2024

आदेशानुसार By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India